THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (g) The National Water Development Agency has prepared a preliminary feasibility report in 1989 of the Pamba-Achan-kovil-Vaigai link for transferring about 664 million cubic metres of surplus water of Pamba & Achankovil to water short areas of Vaigai basin in Tamil Nadu. The project estimated to cost about Rs. 668 crores envisages one lakh hectare irrigation benefit in Tamil Nadu and 16.9 mega watt power benefit to Kerala. The proposal envisages supply of drinking water to villages | towns enroute the link canal.

Exact benefits and cost as also time schedule of completion can not be quantified in the absence of detailed project report and concurrence of the basin States.

पिछड़े वर्गों से संबंधित युवकों के लिए योजनायें

7281. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में पिछड़ी जातियों के युवकों में क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने वाली नई योजना के लिए वर्ष 1990–91, 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान जिले-वार आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले तथा प्रत्येक राज्य में इस प्रयोजन हेतु उक्त धनराशि का किस सीमा तक उपयोग किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी० तंगकाबालू) : (क) तथा (ख) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु दो केन्द्रीय योजनायें हैं जिनमें अन्य पिछड़े वर्गों के युवा शामिल हैं। ये निम्न प्रकार हैं :–

(1) पिछड़े वर्गों के आर्थिक एवं विकासात्मक कायकलापों को बढ़ावा देने तथा उनके तकनीकी एवं उद्यमीय कौशल के विकास में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(2) आर्थिक मानदण्ड पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना।

(ग) तथा (घ)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

यह निगम 1990–91 के दौरान विद्यमान नहीं था और यह केवल जनवरी, 1992 में ही अस्तित्व में आया। अतः इन दो वर्षों के दौरान इस निगम द्वारा कोई धनराशि मंजूर नहीं की गई।

निगम ने देश की विभिन्न माध्यम एजेंसियों के जरिए 1992–93 के दौरान 34.20 करोड़ रुपए तथा 1993–94 के दौरान 106.02 करोड़ रुपए मंजूर किए।

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा मंजूर किया गया ऋण 1992–93 और 1993–94 के दौरान क्रमशः 146.38 लाख रुपए और 956.88 लाख रुपए हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य में संवितरित की गई ऋण राशि विवरण–1 में दी गई है (नीचे देखिए)

जिलेवार आवंटनों एवं उपयोग संबंधी ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

आर्थिक मानदण्ड पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग संबंधी योजना

वर्ष 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश स्थित किसी भी कोचिंग संस्थान को न तो कोई धनराशि संस्वीकृत की गई और न ही संवितरित की गई। चूंकि यह योजना मार्च, 1993 में शुरू की गई थी। परीक्षा-पूर्व कोचिंग संबंधी योजना के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान 4.67 लाख रुपए तथा वर्ष 1993-94 के दौरान 49.01 लाख रुपए की धनराशि संवितरित की गई। राज्यवार ब्यौरे वितरण-II में दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश राज्य स्थित तीन संस्थानों नामतः (1) कोठारी इन्स्टीट्यूट इन्दौर (2) कृष्णा कोचिंग सेंटर, जबलपुर (3) सचदेव न्यू पी.टी. कालेज इन्दौर को 1993-94 के दौरान 4.80 लाख रुपए मंजूर किए गए। इसमें से 3.33 लाख रुपए की धनराशि इन संस्थानों को पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी है।

ये संस्थान जिन्हें, योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, यद्यपि राज्य के विभिन्न भागों में अवस्थित है, फिर भी, उनके लाभग्राही राज्य के किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

31-3-94 तक संवितरित धनराशि के राज्यवार ब्यौरे।

क्र.सं.	राज्य का नाम	31.3.93 तक संवितरित धनराशि	1993-94 के दौरान संवितरित धनराशि	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	17,46,68,152	17,46,68,152
2.	असम	20, 5,640	70,58,840	90,64,480
3.	बिहार	2,23,95,000	4,56,33,400	6,80,28,400
4.	गुजरात	—	1,70,00,000	1,70,00,000
5.	गोवा	—	—	—
6.	हरियाणा	30,56,250	2,17,40,500	2,47,96,750
7.	हिमाचल प्रदेश	—	40,00,000	40,00,000
8.	कर्नाटक	1,14,75,950	6,38,20,950	7,52,96,900
9.	केरल	—	41,32,280	41,32,280
10.	मध्य प्रदेश	74,11,250	7,14,60,750	7,88,72,000
11.	महाराष्ट्र	1,03,80,000	3,11,10,000	4,14,90,000
12.	पंजाब	43,66,250	1,28,89,000	1,72,55,250
13.	तमिलनाडु	—	2,13,15,950	2,13,15,950
14.	उत्तर प्रदेश	88,10,100	2,58,50,100	3,46,60,200
	कुल :	6,99,00,440	50,06,79,922	57,05,80,362

राज्य	मंजूर किया गया अनुदान	निर्मुक्त किया गया अनुदान
1992-93 :		
तमिलनाडु	2.20	1.10
उत्तर प्रदेश	1.50	0.75
दिल्ली	7.39	2.82
	11.09	4.67
1993-94 :		
आन्ध्र प्रदेश	11.82	7.06
दिल्ली	15.91	9.82
गुजरात	3.29	3.01
जम्मू और कश्मीर	3.97	2.23
केरल	13.67	3.23
मध्य प्रदेश	4.80	3.33
महाराष्ट्र	1.50	1.35
राजस्थान	7.63	4.26
तमिलनाडु	4.42	3.20
उत्तर प्रदेश	9.91	6.52
	76.92	49.01

Scheme for Mentally Retarded Children

7282. SHRI J. S. RAJU: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what are the schemesprogram-mes in ougue for mentally retarded children In India;

(b) the schemes|programmes proposed for them:

(c) what is the total number of mentally retarded children who have benefited by ibis scheme; and

(d) whether after such treatment the above mentioned children are allowed to join their homes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU); (a) Ministry has three scheme? for